मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
- - -

डी०क्रमांक 465 /448/1(3)/74 भोपाल, दिनांक 15 जुलाई, 1974

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर्स,
मध्य प्रदेश ।

विषयः- कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावलियों में अंकित प्रतिकूल टीकाएँ बिना विलम्ब के सूचित करने के बारे में ।

=*=

राज्य शासन व्दारा निर्णय लिया गया है कि शासकीय कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावलियों में अंकित प्रतिकूल प्रविष्टियां बगैर किसी विलम्ब के संसूचित की जाए, तथापि ऐसी प्रविष्टियों को विभागीय पदोन्नति समितियों व्दारा केवल इस कारण नजर अन्दाज न किया जाय कि वे संबंधित कर्मचारी को संसूचित नहीं की गई हैं; और यह प्रविष्टियां कर्मचारियों के पदोन्नति के समय विचार में ली जाएं ।

2/ वर्तमान में राजपत्रित अधिकारियों के लिये उनकी गोपनीय चरित्रावलियों में अंकित प्रतिकूल टीकाएं रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से एक माह के भीतर संसूचित करने के निर्देश है । यही अवधि समस्त कर्मचारियों के लिये लागू की जाय ।

3/ राज्य शासन व्दारा यह भी निर्देश दिये गये है कि शासकीय कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावलियों में अंकित प्रतिकूल अभ्युक्तियां निर्धारित समयावधि के भीतर संसूचित की जाएं और जो अधिकारी /कर्मचारी विलंब के लिये दोषी पाया जाय उसके विरुध्द आवश्यक कार्यवाई की जाए ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(बल्देवसिंह)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

=2=